सर्वांगीण सुधार के लिए व्यापक प्रस्ताव पहले से ही प्रस्तुत किए हैं।

सूती वस्त्रों को औद्योगिक समिति भी अपने सुझावों पर कार्य कर रही है।

हथकरघा और विद्युतचालित करघा क्षेत्र को धागे की पूर्ति

53. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान हथकरघा और विद्युत चालित करघा क्षेत्रों द्वारा धागे की कितनी मात्रा की मांग की गई है;

(ख) यह पूर्ति कितनी मात्रा में और किन-किन स्थानों से की गई थी; और

(ग) धागे की पूर्ति में वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत: (क) और (ख) हथकरघा और पावरलूम क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत प्रकार के उत्पादन और देश में अधिक बुनाई क्षमता को देखते हुए इन क्षेत्रों में बुनाई कार्यों का स्तर समय-समय पर बदलता रहता है जो सूत के मूल्यों, कपड़ की बिक्री और विभिन्न राज्यों की आर्थिक व अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सूत की मांग का ढाँचा भी इसी प्रकार बदलता रहता है। तथापि हथकरघा और पावरलम विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों में सूत की आवश्यकता की मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि सूत की आवश्यकता की पूर्ति देशभर में फैली प्राइवेट क्षेत्र की कताई मिलों द्वारा की जाती है। वर्ष 1989–90 और 1990–91 के दौरान देश में विकेन्द्रीकृत बुनाई क्षेत्र में उपभोग के लिए कताई मिलों द्वारा वितरित किया गया स्पन यार्न क्रमश: 1057 मिलियन किलोग्राम और 1159 मिलियन किलोग्राम था। 31 मार्च 1991 को देश के विभिन्न भागों में 26.53 मिलियन तकुऐ थ।

(ग) सरकार विद्यमान सामान्य औद्योगिक नीतियों के अधीन आधुनिकीकरण के अतिरिक्त वर्तमान कताई इकाईयों की क्षमता का विस्तार करने और नई इकाईयों द्वारा क्षमता सृजन करने के लिए प्रोत्साहन देती रही है। देश में सूत का उत्पादन बढ़ाने और कताई मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए रोटर अथवा एअर-जेट इकाईयों के द्वारा तुकुओं को बदलने की अनुमति भी दी गई है। तकुओं में प्रयोग क्षमता 1987–88 की 70% से बढ़कर 1990–91 में 79% हो गई। हथकरघा क्षेत्र में आवश्यक मात्रा में हैंक यार्न की उपलब्धता के लिए सरकार हैंक यार्न दायित्व योजना कार्यान्वित कर रही है जिसमें प्रत्येक सूत उत्पादक को सिविल उपयोग के लिए पक किये गए या कुछ सूत का 50% हैंक के रूप में पैक करना होता है। हथकरघा बुनकरों के लिए सहकारी क्षेत्र में हैंक यार्न के उत्पादन के लिए अतिरिक्त तकुए स्थापित करने के लिए सरकार ने छठी और सातवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से 64.81 करोड़ रुपये की राशि जारी की। 1990–91 और 1991–92 में इस कार्य के लिए 4.14 करोड़ रुपये की सहकारी क्षेत्र में ही 6.26 लाख अतिरिक्त तकुए स्थापित हो सके हैं।

Disposal of land held by closed Textile Mills in Public Sector

54. Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a)whether it is a fact that Government have taken a decision to allow disposal of lands held by closed textile mills in public sector;

(b) what are the terms and conditions for disposal of land held by these closed

textile mills which have been allowed to sell lands?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) to (c) The sale of surplus land of textile mills would be taken up only after the restructuring plan of NTC is finalised in the light Of the deliberations of the Tripartite Committee on Textiles. A high power committee has been constituted in the Ministry of Textiles to finalise sale of surplus lands as and when such sale is considered necessary.

As no textile mill of NTC has been closed, the question of sale of surplus land does not arise on this account.

उत्तर प्रदेश में सहकारी सूती कपड़ा मिलें

55. श्री ईश दत्त यादव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में किस-किस स्थान पर सूती कपड़ की सहकारी मिलें लगायी गयी हैं; और

(ख) अगले वर्ष के दौरान किस-किस जिले में ऐसी कपड़ा मिलें लगाये जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत : (क) उत्तर प्रदेश में जिन स्थानों में सहकारी सूती वस्त्र मिलें स्थापित की गई हैं, उनके नाम नीचे दिए गए हैं :–

(1) इटावा
(2) बुलंदशहर
(3) बस्ती
(4) बिजनौर
(5) मुरादाबाद
(6) बरेली
(7) इलाहाबाद
(8) सीतापुर
(9) गाजीपुर
(10) फरूखाबाद
(11) फतेहपुर

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन सी डी सी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1992–93 में उत्तर प्रदेश में सहकारी कताई मिल स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

Enlargement of the Scope of Textile Workers' Rehabilitation Fund Scheme

56. DR. SANJAYA SINH:- Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have enlarged the scope of the Textile Workers* Rehabilitation Fund Scheme;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether some of the closed Textile Mills in the country are proposed to be started as a result of extending the benefits of the above mentioned scheme to the cases of partial closures; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) Yes, Sir.

(b) The Textile Workers' Rehabilitation Fund Scheme (TWRFS) has recently been made applicable to the cases of partial closures also. Besides, the monthly wage ceiling of an eligible worker has been raised from Rs. 1600/-p.m. to Rs. 2500/- p.m.

(c) Yes, Sir.

(d) Since the scope of the Scheme has been extended recently *i.e.* April, 1992 only, the details of the closed mills to be restarted are not available.

Non-compliance of DGS&D orders by jute mills

57. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether there are any Jute Mills that have not been able to export against